नगर परिषद, करौली

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/KARAULI/FIRENOC/2026-27/73624

जारी दिनांकः 08-OCT-2026 वैधता दिनांकः 07-OCT-2028

प्रेषित–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः AKANKSHA SHARMA

आवेदक का पताः BEHIND GOVERNMENT PG COLLEGE, KARAULI

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **KENDRIYA VIDHYALAYA KARAULI, 0, BEHIND GOVERNMENT PG COLLEGE, KARAULI, KARAULI, KARAULI, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह **अस्थाई** (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड को वर्ष में कम से कम 2 बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाना आवश्यक होगा।
3. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
4. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिल कराना होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निकाय द्वारा भविष्य में कोई नियम व उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधन को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाये जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जावेगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जावे।
11. रोप, लैडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतू यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उतरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र रूफ टॉप रेस्टोरेन्ट के लिए मान्य नही है। जिस भाग के लिए अनात्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूफ टॉप रेस्टोरेन्ट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

Digitally signed by KALOO RAM
Designation: DC-EO-COMM.
Date: 2026-10-08 15:00:11 IST
Location: KARAULI, RAJASTHAN

v-2.1

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, करौली